

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 126/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्वनाम ए यू फाइनेन्सर (इंडिया) लिमिटेड) पता-19-ए, धूलेश्वर
गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स आर पी टायर्स जरिये प्रोपराईटर श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव,
पता :- ट्रांसपोर्ट नगर, नेशनल हाईवे नम्बर 08, कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. श्री महावीर प्रसाद यादव,
पता :- ग्राम बाढ धूँला, बानसूर, जिला अलवर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002


उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.01.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद यादव के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पति ट्रांसपोर्ट नगर, मोहल्ला बासडी, कोटपूतली, जिला जयपुर स्थित भूमि व भवन क्षेत्रफल 21.11 वर्ग गज को बन्धक एवं Current assets and movable fixed assets both present & Future को हाईपोथिकेट रख कर 13,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.10.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- 3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को सुयोग्य अधिभूतता को नीचे से सुगम गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मसौ नीचे अवलोकन किया गया।
- 4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त 2014 का संश्लेषी अधिनियम 2012 से तहत वित्तीय संस्थान बैंक से सा में निर्दिष्ट किया गया है।
- 5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था में अप्रार्थीगणों को 12,05,000/- काष्ठ का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत से सा में अप्रार्थीगण में उपरोक्त वर्गित सम्पत्ति बन्धक से सा में प्रार्थी वित्तीय संस्था से प्राप्त निरवरी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए अर्जित होने से नियमानुसार ऋण दम्बुली के लिए बकाया ऋण रहि गइ असाइ कृज रहि काष्ठ 12,05,145/- काष्ठे जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27 10 2021 को अधिनियम की धारा 10 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण रहि का सुपान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में दम्बुली योग्य बकाया रहि एउ असाइ काष्ठ से अर्जित होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक रहि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का बकाया प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था को षर में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का नैतिक बकाया वितरण जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
- 6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को षर में अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद यादव के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पत्ति ट्रांसपोर्ट नगर, मोहनगढ़ बासकी, कोटभूतली, जिला जयपुर स्थित भूमि उ मदन क्षेत्रफल 21.11 वर्ग मज को बन्धक एवं हाईमोविबल Current assets and moveable fixed assets both present & Future का नैतिक षर से बकाया प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित मुक्तिस धाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
- 7. आदेश की प्रति संबन्धित मुक्तिस उपचुक्ता जयपुर शहर/मुक्तिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर सिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का बकाया प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिजाने हेतु संबन्धित धानाधिकारी को निर्दिष्ट करे एवं भारत रिपोर्ट भिजवाने हेतु बाध्य करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)
 राजन मिश्रा
 जिला नजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर